

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लुनी, जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी - पुखराज कंसोटिया आर.ए.एस.

राजस्व मूल वाद संख्या - 75 ए / 2023

वादीगण :-

01. नारायणसिंह पुत्र माधोसिंह
02. बिहारीलालसिंह पुत्र माधोसिंह
03. मृतक जावंतसिंह पुत्र श्री सिमरथसिंह
3/1 भंवरसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री जावंतसिंह
3/2 सुखसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री जावंतसिंह
04. मृतक सोहनसिंह पुत्र श्री सिमरथसिंह
4/1 जोगसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री सोहनसिंह
4/2 मदिया कंवर पुत्री स्वर्गीय श्री सोहनसिंह
05. मृतक पुखसिंह पुत्र श्री भगसिंह
5/1 कालुसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री पुखसिंह
5/2 नरेन्द्रसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री पुखसिंह
5/3 सवाईसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री पुखसिंह
5/4 सोरम पुत्री स्वर्गीय श्री पुखसिंह
5/5 ममता पुत्री स्वर्गीय श्री पुखसिंह
06. मोहनसिंह पुत्र श्री भगसिंह
07. गोपालसिंह पुत्र श्री भगसिंह
08. स्वरूपसिंह पुत्र श्री हिम्मतसिंह
09. प्रेमसिंह पुत्र श्री हिम्मतसिंह सभी जातियान राजपुरोहित निवासीगण गांव खाराबेरा पुरोहितान, तहसील लुनी, जिला जोधपुर।

ब न म

प्रतिवादीगण :-

01. सरदारसिंह पुत्र झुंझारसिंह
02. सीताराम पुत्र झुंझारसिंह
03. सीता बेवा जसराज
04. नबी पत्नी श्री शिवनाथसिंह
05. भूरसिंह पुत्र श्री जसवन्तसिंह
06. जवारसिंह पुत्र जसवन्तसिंह
07. हमीरसिंह पुत्र गुमानसिंह
08. भीकसिंह पुत्र बनेसिंह
09. बलुसिंह पुत्र सुल्तानसिंह
10. मगसिंह पुत्र भोपालसिंह
11. नारायणसिंह पुत्र भोपालसिंह
12. फौजूसिंह पुत्र भोपालसिंह
13. अभयसिंह पुत्र भोपालसिंह
14. रावतसिंह पुत्र बाबूसिंह
15. गंगासिंह पुत्र जेटमलसिंह

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लुनी

16. बीजराजसिंह पुत्र रणजीतसिंह
17. मुकनसिंह पुत्र लिछमणसिंह
18. घीसूसिंह पुत्र पुखसिंह
19. पुखसिंह पुत्र गुमानसिंह जातियान राजपुरोहित निवासी खाराबेरा पुरोहितान तहसील लुणी, जिला जोधपुर ।
20. राजस्थान राज्य जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार लुनी, जोधपुर।

**वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
1955 बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा**

उपस्थित : - वकील वादीगण श्री हनुमानसिंह एवं एस एन राजपुरोहित
वकील प्रतिवादीगण

दिनांक : - 28.07.25

-: निर्णय :-

संक्षिप्त में वाद का विवरण इस प्रकार से है कि वादीगण की खातेदारी एवं काश्तकारी की कृषि भूमि खेत खसरा नंबर 927 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, सरहद ग्राम खाराबेरा पुरोहितान, पटवार क्षेत्र खाराबेरा पुरोहितान, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुडा विश्नीईयां, तहसील लुनी, जिला जोधपुर में स्थित है। जिस पर वादीगण का वक्त सेटलमेन्ट से ही कब्जा काश्त रहा है। वादीगण के पिता सिमरथसिंह वगैरह का कब्जा काश्त वक्त सेटलमेन्ट के पूर्व से होने के कारण वक्त सेटलमेन्ट उनका नाम खसरा गिरदावरी में दर्ज है तथा संवत् 2011 से संवत् 2017 एवं 2023 से 2026 तक खसरा गिरदावरी में बागसिंह, माधोसिंह वगैरह का कब्जा काश्त दर्ज है। प्रतिवादीगण न तो इस गांव के निवासी है तथा न ही उनका उक्त खसरा के रकबा पर कभी भी कब्जा काश्त रहा है न ही इस गांव के निवासी है, न ही गांव में कभी भी देखा है, न ही गांव खाराबेरा पुरोहितान में कोई जानता है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जा काश्त की कृषि भूमि उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज न होने बाबत बताने पर, हल्का पटवारी से वादीगण को प्रथम बार जानकारी होने पर वाद पेश किया।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये, प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस पर टिप्पणी की गई कि गांव खाराबेरा में इस नाम के कोई व्यक्ति नहीं रहते हैं, जिसे गवाह द्वारा जाहिर किया, नोटिस तामिल न होने पर वादीगण की और से आदेश 5 नियम 20 सीपीसी का प्रार्थनापत्र पेश किया, तथा स्थानीय अखबार दैनिक नवज्योति 29.05.2016 को प्रकाशित की, लेकिन प्रतिवादीगण या उनकी और से उनका प्लीडर कोई भी उपस्थित न होने पर मजमे आम में भी प्रतिवादीगण को अवाजे दिलाई गई कोई हाजिर न आने पर प्रतिवादी संख्या 01 से 19 के विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात गवाह जेतुसिंह, घीसूसिंह पुत्रान पुखसिंह, एवं गवाहान भीखसिंह, रूपसिंह, प्रहलादसिंह, देवीसिंह के अपने सशपथ कथनों के शपथ पत्र पेश किये, में बताया कि जन्म से ही धोलेरिया के निवासी है, कभी खाराबेरा में न तो निवास न ही खेतीबाडी की है, सशपथ कथनों में आये बताया कि 450 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज गांव खाराबेरा पुरोहितान छोडकर गांव धोलेरिया में बसे हुए है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में वास्तविक न होकर उक्त वर्णित वाद में सरदारसिंह वगैरह का खाराबेरा की जमीन में नाम इन्द्राज है, जो गलत इन्द्राज है, सेटलमेन्ट से पूर्व व बाद मौके पर जाकर खेतीबाडी ना ही की और न ही मौके की स्थिति का वास्तविक पता है। उक्त खसरो पर वादीगण द्वारा तथा वादीगण के पूर्वजो द्वारा आज दिन कब्जा काश्त

सहायक कमन्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लुणी

है, के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये, वादी और गवाह पेश न करने पर गवाह वादी बंद की व बहस सुनी गई, हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख वाद में दर्शाया है कि प्रतिवादीगण इस गांव में निवास नहीं करते हैं, तथा सेटलमेन्ट में गलत नाम दर्ज हो गया। मौके पर वादीगण का कब्जा काशत है इसलिए वादीगण का नाम डिक्री जारी की जावे एवं प्रतिवादीगण का नाम डिलिट किया जावे मजमे आम में भी वादी के वाद के संबंध में जांच की गई तो पाया कि प्रतिवादीगण इस गांव में निवास नहीं करते हैं अतः वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य होने से वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया। इसके करीब दो माह बाद प्रतिवादी संख्या 10 व 11 के वारिसान की तरफ एक प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी संपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया। प्रार्थनापत्र शपथ आयुक्त द्वारा तस्दीक सुदा नहीं होते हुए भी प्रकरण दर्ज कर लिया। इसके बाद प्रतिवादी संख्या 10 व 11 के वारिसान द्वारा इसी न्यायालय के समक्ष एक अन्य प्रार्थनापत्र धारा 151 सीपीसी का पेश कर जाहिर किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने पर प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी संपठित धारा 151 सीपीसी जरिये विद्दो/ नोट प्रेस खारिज किया जावे। तदनुसार दिनांक 27.10.2016 को इस विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र का निस्तारित किया। इसके बाद पुनः जुलाई 2017 में प्रतिवादी के वारिसान की और से रिव्यू प्रार्थनापत्र मूल निर्णय एवं डिक्री 04.07.2016 को अपास्त किये जाने हेतु पेश किया, जिसमें वादीगण को कोई जबाब या सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा आदेश 03 अक्टुम्बर 2017 पारित कर मूल निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.07.2016 खारिज कर दिया।

वादीगण ने आदेश 03.10.2017 के विरुद्ध अपील पेश कर जाहिर किया कि अपील में रेस्पोजेन्ट संख्या 3 से 8 द्वारा पूर्व में आदेश 9 नियम 13 संपठित धारा 151 सीपीसी के तहत रिव्यू प्रार्थनापत्र की कार्यवाही में पक्षकार नहीं बने, पूर्व रिव्यू प्रार्थनापत्र के आवेदकगण द्वारा प्रार्थनापत्र जरिये विद्दो खारिज करवा लिया गया। तथा आलौच्य प्रार्थनापत्र मूल निर्णय दिनांक 04.07.2016 के खिलाफ करीब एक साल बाद प्रस्तुत किया तथा रिव्यू उन व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की गई जो कि मूल वाद में पक्षकार ही नहीं थे। मूल वाद में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.16 को अपास्त किया, बकाया उपरोक्त आब्जर्वेश में इंगित कार्यवाही बाबत कुछ भी स्पष्ट नहीं किया, जिससे प्रतीत होता है कि 03.10.2017 का निर्णय अपने आप में अपूर्ण है। फिर भी अपीलीय न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री 04.07.2016 अपास्त कर प्रकरण इस न्यायालय को रिमाण्ड किया।

विचारण न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज कर पत्रावली वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु पेश हुई, वादीगण की और से अधिवक्ता उपस्थित हुए, लेकिन प्रतिवादीगण अथवा उनकी और से प्लीडर अधिवक्ता उपस्थित न आने पर मजमे आम में प्रतिवादीगण को आवाजे दिलाई गई, कोई हाजिर नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 01 से 19 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। मृतक वादीगण के वारिसान का प्रार्थनापत्र पेश होने पर उसे स्वीकार कर नया संशोधित वाद शीर्षक को रिकॉर्ड पर लिया गया। वादीगण की और से आदेश 5 नियम 20 सीपीसी का प्रार्थनापत्र पेश किया, तथा स्थानीय अखबार दैनिक नवज्योति में 06.07.2024 को प्रकाशित की, लेकिन प्रतिवादीगण या उनकी और से उनका प्लीडर कोई भी उपस्थित न होने पर मजमे आम में भी प्रतिवादीगण को अवाजे दिलाई गई कोई हाजिर न आने पर प्रतिवादी संख्या 01 से 19 के विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात गवाह जेतुसिंह, धीसूसिंह पुत्रान पुखसिंह, एवं गवाहान भीखसिंह, रूपसिंह, प्रहलादसिंह, देवीसिंह के अपने सशपथ कथनों के शपथ पत्र पेश किये, में बताया कि जन्म से ही धोलेरिया के निवासी है, कभी खाराबेरा में न तो निवास न ही खेतीबाडी की है, सशपथ कथनों में आये बताया कि

450 वर्ष पूर्व हमारे पूर्व गांव खाराबेरा पुरोहितान छोड़कर गांव धौलेरिया में बसे हुए, लेकिन राजस्व रिकार्ड में वास्तविक नाम न होकर उक्त वर्णित वाद में सरदारसिंह वगैरह का खाराबेरा पुरोहितान की जमीन में नाम इन्द्राज है, जो गलत इन्द्राज है। सैटलमेन्ट से पूर्व व बाद मौके पर जाकर खेतीबाड़ी ना ही की और न ही मौके की स्थिति का वास्तविकता का पता है। उक्त खसराओं पर वादीगण द्वारा तथा वादीगण के पूर्वजों द्वारा आज दिन तक कब्जा काशत है, के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये। वादीगण अधिवक्ता द्वारा फार्म संख्या 03 के साथ दस्तावेज पेश किये, जो शामिल पत्रावली किये तथा साथ ही चैनसिंह, हीरसिंह के साक्ष्य शपथ पत्र भी पेश हुए, अपने सशपथ कथनों में बताया कि उक्त खसरा की भूमि पर वादीगण एवं उनके प्रेडिसिसर इन टाईटल का कब्जा काशत आज दिवस तक निर्विवाद रूप से रहा है। पत्रावली साक्ष्य वादी जिरह हेतु रखी गई, वादीगण गवाह पेश नहीं करना चाहते हैं। गवाह बन्द की गई।

बहस वादीगण विद्वान अधिवक्ताओं की सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क प्रस्तुत कर वादपत्र अनुसार डिक्री किये जाने हेतु रेकर्ड नकल जमाबंदी, दस्तावेजों एवं वादीगण विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई बहस के दौरान दिये गये तर्कों का ध्यान पूर्वक मनन किया गया वादीगण ने अपने वाद में दर्शाया है कि प्रतिवादीगण अपने गांव में निवास नहीं करते हैं तथा सैटलमेन्ट में गलत नाम दर्ज हो गया है। मौके पर वादीगण का कब्जा काशत है इसलिए वादीगण का नाम डिक्री जारी की जावे एवं प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे। मजमे आम में भी वादीगण के वाद के संबंध में जांच की गई तो पाया कि प्रतिवादीगण इस गांव के निवास नहीं करते हैं। वादीगण अधिवक्ता द्वारा फार्म संख्या 3 के साथ पेश नकल गिरदावरी ग्राम खाराबेरा पुरोहितान की नकल गिरदावरी संवत् 2010 से 2030 का अवलोकन किये जाने पर ग्राम खाराबेरा पुरोहितान के खसरा संख्या 927 गिरदावरी में विवरण विशेष एवं अधिकारों, अधिपत्य भूमिकर तथा राजस्व में परिवर्तन के कॉलम में सिमरथसिंह, बागसिंह एवं मादुसिंह अंकित है जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त खेत खसरे में वादीगण का पूर्व से ही कब्जा काशत था। वादी अधिवक्ता द्वारा पूर्व की बिगौड़ी रसीद दिनांक 04.03.1962 की संलग्न खातेदारों के पूर्वजों के नाम माधोसिंह पुत्र अचलसिंह के नाम से रसीद है तथा पूर्व में बिगौड़ी भी वादीगण व उनके पूर्वजों के नाम भरी गई।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री अमर की जारी की जाती है कि वादीगण को खेत ग्राम खाराबेरा पुरोहितान के खसरा संख्या 927 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा का खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया (डिलीट) किया जाता है। स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वे वादीगण के कब्जे काशत, उपयोग में किसी प्रकार की दखलांदाजी, अवरोध न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य के जरिये ही करवावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दपतर हो।

(पुखराज कसोटिया)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लुणी

निर्णय आज दिनांक 28-7-2025 को बसरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लुणी